न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 35/2018 नामान्तरकरण अपील

1. श्यामलाल पुत्र घासीलाल जाति ब्राह्मण निवासी (पुरोहित) निवासी लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. जयकिशन पुत्र स्व. रामदयाल
2. मोहनलाल पुत्र स्व. रामदयाल
3. रामरतन पुत्र स्व. रामदयाल
4. शिवरतन पुत्र स्व. रामदयाल
5. प्रेमरतन पुत्र स्व. रामदयाल
6. कौशल्या पुत्री स्व. रामदयाल
7. कमला पुत्री स्व. रामदयाल
8. किरन पुत्री स्व. रामदयाल
9. मीना पुत्री स्व. रामदयाल
10. ममता पुत्री स्व. रामदयाल

(1 से 10) समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।

11. राज. सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।
12. उप पंजीयक लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 4554 दिनांक 04.05.2018 ग्राम लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा अन्तर्गत धारा 75 भू–राज. अधिनियम 1956

उपस्थिति :– 1 : श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित ।
2 : रेस्पोडेन्ट् सं. 1 लगा. 10 बावजूद तामील अनुपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक: 06.11.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी कृषि भूमि खाता सं. 1029 के हाल खसरा नं. 2409 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 2413 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं. 2435 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 2436 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा ग्राम लालसोट पटवार हल्का लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी हाल सम्वत 2072–75 के अनुसार काश्तकार रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 10 के नाम खातेदारी 1/2 हिस्सा दर्ज है। प्रश्नगत भूमि के हिस्सा 1/2 पर पर अपीलान्ट अपने पूर्वजो के जमाने से काबिज काश्त करते चले आ रहे है एवं आज दिनांक को भी अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट व उनके पूर्वजों द्वारा उक्त आराजी के हिस्सा 1/2 भूमि पर कभी भी काबिज काश्त नहीं की है। प्रश्नगत भूमि के हिस्सा 1/2 भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा एक वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष उनवानी रामस्वरूप वगै. बनाम रामदयाल वगै. वाद सं. 142/2008 प्रस्तुत किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रति० जिला कलेक्टर

था। जिसमे 1 जून 2009 को अपीलान्ट के हक में निर्णय कर हिस्सा 1/2 की खातेदारी अपीलान्ट के हक में डिक्री की गई। निर्णय व डिक्री के आधार पर अपीलान्ट को प्रशनगत भूमि हिस्सा 1/2 का मालिक व स्वामी घोषित किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 10 ने रेस्पोडेन्ट सं. 11 तहसीलदार लालसोट से मिलीभगत कर विवादित भूमि के खाता सं. 1029 का विरासत का नामान्तरकरण सं. 4554 दिनांक 04.05.2018 को रामदयाल के विधिक वारिसान के रूप में बिना किसी उत्तराधिकारी की जांच किये तथा उपखण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2009 के विरूद्ध मनमाने तरीके से रेस्पो. सं. 11 तहसीलदार लालसोट ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर उक्त नामान्तरकरण सं. 4554 का इन्द्राज रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 10 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया है। तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक किये गये उक्त नामान्तरकरण सं. 4554 दिनांक 04.05.2018 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 10 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई। प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम लालसोट तहसील लालसोट में स्थित आराजी कृषि भूमि खाता सं. 1029 के हाल खसरा नं. 2409 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 2413 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं. 2435 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 2436 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी हाल सम्वत 2072–75 के अनुसार काश्तकार रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 10 के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रश्नगत भूमि के हिस्सा 1/2 पर अपीलान्ट अपने पूर्वजो के जमाने से काबिज काश्त करते चले आ रहे है एवं आज दिनांक को भी अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त है। अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष एक वाद सं. 142/2008 उनवानी रामस्वरूप वगै. बनाम रामदयाल वगै. बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 के तहत प्रस्तुत किया। जिसमे दिनांक 1 जून 2009 को हिस्सा 1/2 की खातेदारी अपीलान्ट के हक डिक्री की गई। निर्णय व डिक्री के आधार पर अपीलान्ट को प्रश्नगत भूमि के हिस्सा 1/2 का मालिक व स्वामी घोषित किया गया। प्रश्नगत भूमि के हिस्सा 1/2 पर अपीलान्ट व उसके पूर्वज सम्वत 2008 से काबिज काश्त करते आ रहे है तथा आज भी काबिज काश्त है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेश नोट अंकित होने के कारण अपीलान्ट का नाम निर्णय की पालना में अंकित नहीं किया गया था। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 10 ने रेस्पोडेन्ट सं. 11 तहसीलदार लालसोट से मिलीभगत कर विवादित भूमि के खाता सं. 1029 का विरासत का नामान्तरकरण सं. 4554 दिनांक 04.05.2018 को रामदयाल के विधिक वारिसान के रूप में बिना किसी उत्तराधिकारी की जांच किये तथा उपखण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2009 के विरूद्ध मनमाने तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर उक्त नामान्तरकरण सं. 4554 का इन्द्राज रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 10 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया है। नामान्तरकरण प्रोसिडिंग एक फिस्कल प्रक्रिया है। जहां नामान्तरकरण से किसी के भी अधिकार तय नहीं होते है। उक्त नामान्तरकरण प्रक्रिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रवि० जिला कलेक्टर
दौसा

विधि विरूद्ध तरीके से की गई है। अतः ग्राम लालसोट तहसील लालसोट में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 1029 हाल खसरा नं. 2409 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 2413 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं. 2435 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 2436 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा के हिस्सा 1/2 के सम्बन्ध में तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक किये गये विरासत के नामान्तरकरण सं. 4554 दिनांक 4.5.2018 निरस्त फरमाया जाकर उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2009 की पालना में अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश फरमावे।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी का विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जिससे अपीलान्ट प्रभावित नहीं हो रहा है। चूंकि अपीलान्ट ने अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेजात साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये जिससे यह साबित हो कि अपीलान्ट उक्त विवादग्रस्त आराजी में अपना हक रखता हो। अपीलान्ट का यह कथन है कि उपखण्ड अधिकारी लालसोट ने अपने निर्णय/डिक्री दिनांक 1.6.2009 के द्वारा अपीलान्ट को उक्त विवादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्से का मालिक व स्वामी घोषित किया गया था। जब अपीलान्ट को स्वामी व मालिक घोषित किया जा चुका था तो उक्त निर्णय/डिक्री की पालना करवानी चाहिये थी। इस न्यायालय में अपील करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा नामान्तरकरण सं. 4554 दिनांक 04.05.2018 ग्राम लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 6.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा